occured since 1990 in AIIMS are as under:

Year	No. of cases admitted	No. of deaths occured
1990	128	5
1991	138	12
1992	153	7
1993	129	9
1994	134	4

(b) Life-saving treatment for this disease has been available for several decades. Life threatening and severe complications arc treated with steprids and cytotoxic drugs.

(c) Studies conducted by Indian Council of medical Research have identified markers which can help in identifying disease severity, its activity as also treatment response. AIIMS has also carried out research on the diesase which has shown very prevalence of the disease (3 per 1,00,000 persons as compared to 40—60 per 1,00,000 in the West). Other studies include genetic profile and clinical profile of the disease in children.

(d) The survival of Indian patients with Systemic Lupus Erethematosis is 70% at 5 years and 50% at 10 years, as reported by AIIMS.

(e) In AIIMS, Rheumatology clinic has been looking after patients suffering from this disease since 1974.

National renewal funds for Gujarat

809. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the quantum of funds under national renewal funds spent in Gujarat in 1993-94 and 1994-95;

(b) the details of such programmes implemented in 1994-95 in Gujarat, district-wise; and

(c) the proposals for 1995-96 to be implemented under national renewal fund in Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) and (b): Assistance from the National Renewal Fund was provided in 1993-94 and 1994-95 for funding Voluntary Retirement Scheme in Central Public Sector Undertakings and for worker retraining/redeployment programmes. A sum of Rs. 481.06 crores and Rs. 260.04 crores was disbursed in the years 1993-94 and 1994-95, respectively, for Voluntary Retirement Scheme in Central Public Sector Undertakings including those in the State of Gujarat. Further, a sum of Rs. 0.12 crore and Rs. 1.00 was spent during the years 1993-94 and 1994-95, respectively, on worker retraining/redeployment schemes including those in the State of Gujarat.

(c) According to the Budget Estimates of 1995-96, the proposals to be implemented under the National Renewal Fund consist of a sum of Rs. 239.68 crores for implementation of Voluntary Retirement Scheme by Central Public Sector Undertakings and a sum of Rs. 35.32 crores for worker retraining/ redeployment schemes including those in the State of Gujarat.

शिकायतों को दूर न किया जाना

810. **श्री नागमणि :**

श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं जिनमें दिल्ली के लोगों से कहा गया है कि यदि उन्हें डी0 डी0 ए0, डेसू एस0 टी0 एन0 एल0, परिवहन निदेशालय, पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली नगर निमग तथा नई दिल्ली पालिका परिषद् आदि जैसे कुछ कार्यालयों से अपनी शिकायतों के संबंध में दिए गए अभ्यावेदनों के उत्तर निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होते हैं तो वे इन कार्यालयों के विरुद्ध अपनी शिकायतें सीधे मंत्रालय को भेज दें,

((ख) यदि हां, तो नोटिसों का ब्यौरा क्या है और दिल्ली वासियों से इस संबंध में क्या औपचारिकताएं पूरी करने की अपेक्षा की गई है,

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली वासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने के संबंध में नीति विषयक विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने तथा लोक शिकायतों के निवारण से संबंधित मसलों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है । इन अनुदेशों के अनुसरण में, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन नेएक अधिकारी को शिकायत निदेशाक के रूप में पदनामित किया है जिस पर उनसे संबंधित विशिष्ट शिकायतों के निवारण संबंधी कार्य को देखने की जिम्मेदारी है । यह मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्त भी जारी करता है । लेकिन, उनके कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों का निवारण उनके द्वारा ही किया जाना होता है । पेंशन संबंधी मामलों पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है । तथापि, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय द्वारा समाचार-पत्रों में जन-सूचनाएं प्रकाशित करवाई जाती हैं और जनता से अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित विभागों से संबंधित अपनी शिकायतों के बारे में उन्हें लिखें अथवा किसी भी कार्यदिवस को 10.00 बजे से 1.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप् से उनसे मिले : -

- सरकारी क्षेत्र की बैंक
- जीवन बीमा निगम
- सामान्य बीमा कम्पनी
- ओरियन्टल बीमा कम्पनी
- नेशनल बीमा कम्पनी
- यूनाइटेड बीमा कम्पनी
- न्यू इंडिया एश्योरेंस, सहित
- डाक घर
- दूरभाष तथा तार कार्यालय
- रेलवे
- नागर विमानन विभाग
- एयर इडिया
- इंडियन एयर लाइन्स/वायुदूत, सहित
- शहरी विकास मंत्रालय
- दिल्ली विकास प्रापधिकरण
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
- सम्पदा निदेशालय

भूमि तथा विकास कार्यालय

- भूतल परिवहन मंत्रालय
- दिल्ली परिवहन निगम
- महानिदेशक नौवहन
- पोर्ट ट्रस्ट, सहित

ये सूचनाएं, जन हित के लिये देश के सभी भागों से जारी की जाती हैं जिनमें निम्नलिखित को छोड़कर, अन्य मामलों से संबंधित लोक शिकायतें आमंत्रित की जाती हैं :-

1. नीति संबंधी मामले

2. सेवा संबंधी मामले, ग्रेच्यूटी, सामान्य भाविष्य निधि आदि जैसे टर्मिनल लाभों को छोड़कर)

3. वाणिज्यिक संविदाएं

4. ऐसे मामले जो न्यायालयों, उपभोक्ता फोरम, एम0 आर0 टी0 पी0 सी0 आदि में न्यायिक निर्णय के लिये विचाराधीन हैं ।

2.उपर्युकत को छोड़कर, अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतों की देख-रेख प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की जाती है ।

3.शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिये इस मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । किसी भी शिकायत याचिका के प्राप्त होने पर, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर याचिका-दाता को जवाब भेजा जाना होता है । यदि शिकायत के पर्याप्त निवारण में अधिक समय लगता हो तो याचिका-दाता को एक उपर्युक्त सूचना भेजनी पड़ती है जिसमें, यथासंभव, इसमें लगने वाले संभावित समय का संकेत देना पड़ता है । यदि याचिका-दाता को इन कार्यालयों से उचित अवधि के भीतर कोई जवाब न हीं मिलता तो वह इस मंत्रालय को लिखने के लिये स्वतंत्र हैं ।

Special Programme for T.B.

811. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any special programme for